

भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का ऐतिहासिक विश्लेषण

डॉ. देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

ग्रामीण प्रबंधन विभाग के प्रमुख, एमजीसीजीवी, चित्रकूट

सारांश

भारत में, प्राचीन और पूर्व-औपनिवेशिक काल में धार्मिक, नैतिक और समुदाय-उन्मुख मूल्यों का गहरा प्रभाव था, जिसमें राजा, व्यापारी और संघ सभी मिलकर सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते थे। यह विरासत भारत में आधुनिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को प्रेरित करती है। औपनिवेशिक काल ने भारत में सीएसआर की नींव रखी, जहाँ टाटा, बिड़ला और गोदरेज जैसे उद्योगपतियों ने व्यावसायिक सफलता को सामाजिक कल्याण से जोड़ा। गांधी के ट्रस्टीशिप के दर्शन ने इस युग को प्रभावित किया, जिसमें नैतिक व्यावसायिक आचरण और सामाजिक भलाई के लिए धन के पुनर्वितरण पर जोर दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में सीएसआर की दिशा में संरचित प्रयास देखे गए, जिसमें उद्योगपतियों ने आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया और महत्वपूर्ण सामाजिक पहलों को वित्तीय सहायता प्रदान की। सार्वजनिक-निजी भागीदारी सामाजिक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण साबित हुई, और कंपनियों ने अपनी ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सीएसआर का उपयोग करना शुरू कर दिया। कंपनी अधिनियम, 2013 ने सीएसआर को संस्थागत रूप दिया, जिसके तहत योग्य व्यवसायों को राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बाध्य किया गया। सीएसआर अब एक रणनीतिक पहल में परिवर्तित हो गया है, जिसमें कंपनियाँ मापने योग्य प्रभावों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तकनीकी प्रगति ने सीएसआर के दायरे और पहुँच को बढ़ाया है, जिससे सामाजिक चुनौतियों के लिए नवीन समाधान संभव हुए हैं। भारत में सीएसआर का भविष्य नवीन विचारों, सामूहिक कार्रवाई, और पर्यावरण संरक्षण के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण पर निर्भर करता है, ताकि एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जहाँ प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हो सके, व्यवसाय प्रगति कर सके, और समुदाय आपसी समृद्धि और कल्याण के आधार पर फल-फूल सके।

परिचय

भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का एक समृद्ध और विकसित इतिहास है, जो देश की गहरी सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक-आर्थिक विरासत से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में सीएसआर की यात्रा वैदिक परंपराओं में निहित परोपकार के प्राचीन कार्यों से लेकर कानूनों और विनियमों द्वारा अनिवार्य समकालीन उपायों तक फैली हुई है। सदियों से, भारत में सीएसआर समाज के नैतिक दायित्व से विकसित होकर एक उच्च संरचित व्यावसायिक अभ्यास बन गया है, जिसे अब व्यावसायिक प्रदर्शन और सामाजिक परिणामों दोनों के द्वारा तेजी से मान्यता प्राप्त है। भारत में सीएसआर का ऐतिहासिक संदर्भ बहुआयामी है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता, सामुदायिक

कल्याण और व्यावसायिक स्थिरता के बीच परस्पर संबंध है, जो अंततः भारत के निगमित नागरिकता परिदृश्य को आकार देता है। इस प्रकार, भारत में सीएसआर प्रथाओं के ऐतिहासिक सातत्य का अनुसरण करके, व्यावसायिक समुदायों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के बीच इस जटिल अन्योन्याश्रयता में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। सीएसआर की विरासत, एक तरह से, भारत के लिए आगे बढ़ने का एक प्रकाश है, क्योंकि यह न केवल उथल-पुथल भरी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, बल्कि समाज के सामने पाई जाने वाली विविधता: जिम्मेदार निगमित आचरण, हितधारक जुड़ाव, और भारतीय सामाजिक-आर्थिक विकास के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सभी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सतत विकास।

प्राचीन और पूर्व-औपनिवेशिक काल: सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव

क. धर्म में निहित परोपकार

भारत का प्राचीन और पूर्व-औपनिवेशिक इतिहास धर्म, नैतिकता और परोपकार के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। सामाजिक कल्याण एक नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व था, जो सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों में निहित था। धर्म और सेवा की अवधारणाएं इस समझ के केंद्र में थीं, जिसमें कर्तव्य समाज के प्रति एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी और सेवा को पुण्य माना जाता था। दान के लिए धार्मिक प्रोत्साहन, जिसे दान के रूप में जाना जाता है, को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और सिख धर्म द्वारा बढ़ावा दिया गया था, और इसे मंदिरों, मठों और धर्मार्थ गतिविधियों की ओर निर्देशित किया गया था। राजा और शासक अक्सर धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित होकर सामाजिक कल्याण में अग्रणी भूमिका निभाते थे। राजाओं और धनी व्यापारियों द्वारा वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाओं में शैक्षिक अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाएं, जल प्रबंधन और कला और संस्कृति के लिए सहायता शामिल थी। कल्याणकारी प्रयासों में अक्सर जाति या पंथ की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों को लक्षित किया जाता था, जिसमें एकता और सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया जाता था।

ख. गिल्ड और व्यापार संघ: सामूहिक जिम्मेदारी के अग्रदूत

प्राचीन भारत की आर्थिक संस्थाओं, जिनमें गिल्ड और व्यापार संघ शामिल हैं, ने सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिल्ड, विशेष रूप से वैश्यों (व्यापारी वर्ग) के बीच, प्रभावशाली और सुव्यवस्थित थे, जो शुरुआती व्यावसायिक संघों के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने नैतिक प्रथाओं और आपसी सहयोग पर जोर दिया। गिल्ड ने बुनियादी ढांचे, सामुदायिक परियोजनाओं और धार्मिक संस्थानों को वित्तपोषित किया, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित किया और

दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया। उन्होंने शासकों के साथ मिलकर कस्बों और शहरों के विकास में निवेश किया, जिससे समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा मिला। भारत में प्राचीन और औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक जिम्मेदारी धार्मिक, नैतिक और समुदाय-उन्मुख मूल्यों में गहराई से निहित थी। राजाओं, व्यापारियों और संघों ने सामूहिक रूप से सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए काम किया, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। धार्मिक कर्तव्य और आर्थिक गतिविधियों के साथ परोपकार के एकीकरण ने सामुदायिक विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार किया, जिसने भारत में आधुनिक निगमित सामाजिक जिम्मेदारी को प्रेरित किया।

औपनिवेशिक अवधि: व्यापार में सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास

क. उद्योगपतियों और परोपकार का उदय

भारत में औपनिवेशिक अवधि के दौरान, प्रमुख व्यावसायिक परिवार, जैसे टाटा, बिरला, और गोद्रेज, ने उन्हें औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण के साथ एकीकृत करके परोपकारी प्रयासों को फिर से परिभाषित किया। ये परिवार, जिन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की नींव स्थापित की, ने एक साथ स्थायी कारोबार का निर्माण करते हुए सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करने का महत्व व्यक्त किया। उदाहरण के लिए, जमशेदजी टाटा ने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) जैसे संस्थानों की स्थापना करके औद्योगिक परोपकारी का नेतृत्व किया, जबकि जी.डी. बिरला ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए वित्त पोषण सहित शैक्षिक और सांस्कृतिक पहल का समर्थन किया। गोद्रेज परिवार ने स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया, सस्ती उपभोक्ता उत्पादों को पेश किया और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल का समर्थन किया। इन पहलों ने एक दोहरी फोकस का प्रदर्शन किया: औद्योगिक प्रगति की प्रगति और शिक्षा, स्वास्थ्य

देखभाल और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से समाज में सुधार।

ख. गांधी के विजन का प्रभाव

महात्मा गांधी की सामाजिक जिम्मेदारी की दृष्टि औपनिवेशिक काल के दौरान औद्योगिकवादियों के दृष्टिकोण को काफी प्रभावित करती है। उन्होंने टूटी-फूटी शिप की अवधारणा को पेश किया, उद्योगपतियों को धन के स्थायर के रूप में कार्य करना और असमानता को कम करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक पुनर्वितरण के लिए समर्थन देना। उन्होंने लाभ केंद्रित से लोगों के केंद्रित व्यावसायिक प्रथाओं में बदलाव को प्रोत्साहित किया। गांधी की प्रेरणा से कई औद्योगिकवादियों ने ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा में अपने संसाधनों का निर्देश दिया। गांधी के दर्शन ने उन स्थायी व्यवसायों के निर्माण पर जोर दिया जो बिना किसी लाभ पर सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते थे। भारत में औपनिवेशिक अवधि के दौरान सीएसआर फोकस का विकास व्यापार में सामाजिक जिम्मेदारी की प्रकृति और प्राथमिकताओं में उल्लेखनीय बदलाव को चिह्नित करता है। व्यवसायों ने एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत की स्थापना की दिशा में अपने सीएसआर प्रयासों को फिर से उन्मुख किया, अकादमिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन करने की पहल पर ध्यान केंद्रित किया। सीएसआर को राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने की जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना शुरू हुआ, एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाना जो मानव और सामाजिक पूंजी में रणनीतिक निवेश के साथ सहयोग करता है। टाटा, बिरला और गोद्रेज जैसे उद्योगपतियों ने गांधी की विश्वास और सामाजिक कल्याण की अवधारणा से काफी प्रभावित किया। इसके अलावा, सीएसआर प्रयासों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा गया। इन योगदानों ने सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं की स्थापना

की जो भारत में आधुनिक सीएसआर पहल को प्रेरित करना जारी रखते हैं।

स्वतंत्रता के बाद का काल (1947-1980 का दशक): राष्ट्र निर्माण में सीएसआर का विकास

क. औद्योगिकीकरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण

स्वतंत्रता के बाद भारत के शुरुआती दशकों में, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों ने राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में योगदान दिया। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया, जिसमें राज्य के नेतृत्व वाले विकास को निजी उद्यम के साथ जोड़ा गया। सार्वजनिक क्षेत्र ने भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि निजी क्षेत्र ने आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में योगदान दिया। स्वतंत्रता-पूर्व परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी से प्रेरित उद्योगपतियों ने सामुदायिक कल्याण के साथ व्यवसाय विकास को एकीकृत किया। प्रमुख योगदानों में साक्षरता और तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए स्कूलों, कॉलेजों और छात्रवृत्तियों को वित्तपोषित करना, वंचित क्षेत्रों में अस्पताल और क्लीनिक स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कौशल विकास को बढ़ावा देना और निजी उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजित करना, स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना शामिल था।

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का उदय

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने इस अवधि के दौरान आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें लाभ कमाने से आगे बढ़कर सामुदायिक विकास परियोजनाओं, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान देने का काम सौंपा गया था। इन पहलों ने सीधे तौर पर हाशिए पर पड़े समुदायों को लाभ पहुंचाया, समावेशिता

को बढ़ावा दिया और क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया। पीएसयू की सीएसआर पहलों ने सीधे तौर पर समाज के हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ पहुँचाया, समावेशिता को बढ़ावा दिया और क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया।

ग. सीएसआर की स्वैच्छिक प्रकृति

इस युग के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) काफी हद तक स्वैच्छिक थी, जो विनियामक आदेशों के बजाय नैतिक और सामाजिक प्रेरणाओं से प्रेरित थी। सीएसआर पहल गांधी के ट्रस्टीशिप के दर्शन से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य असमानताओं को कम करना और गरीबों का उत्थान करना था। कंपनियों को सीएसआर गतिविधियाँ करने के लिए कोई औपचारिक नियमन की आवश्यकता नहीं थी, और उन्होंने स्वैच्छा से अपने प्रयासों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ दिया। सीएसआर का व्यापक लक्ष्य एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के विकास में योगदान देना था, जो नव स्वतंत्र भारत में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करता है।

आर्थिक उदारीकरण और सीएसआर विकास (1990-2000)

1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण ने भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की। इस अवधि में सीएसआर का विकास एक परोपकारी गतिविधि से व्यवसाय संचालन के एक अधिक रणनीतिक और अभिन्न अंग के रूप में हुआ, जो वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धा और सतत विकास के बारे में बढ़ती जागरूकता से प्रेरित था।

क . वैश्वीकरण और कॉर्पोरेट जवाबदेही

भारत में 1991 की उदारीकरण नीतियों ने कॉर्पोरेट व्यवहार और जिम्मेदारी के लिए नए मानक पेश किए, जिससे बहुराष्ट्रीय निगमों से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इन प्रथाओं ने मानवाधिकारों, श्रम कानूनों और स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के पालन पर जोर दिया। वैश्विक मानकों द्वारा शुरू किए गए फोकस क्षेत्रों में सतत विकास, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नैतिक शासन शामिल थे। व्यवसायों ने पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं को प्राथमिकता दी, जैसे कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन। कॉर्पोरेट प्रशासन में पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं ने भारतीय व्यवसायों को वैश्विक अपेक्षाओं के साथ जोड़ा।

ख . सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग का उदय

CSR व्यवसायों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे सामाजिक योगदान के लिए अधिक संरचित और पारदर्शी दृष्टिकोण सामने आए हैं। वैश्विक प्रथाओं से प्रेरित भारतीय कंपनियों ने अपनी पहल और पर्यावरणीय प्रभावों का दस्तावेजीकरण करने के लिए स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू किया, जिससे हितधारकों को जवाबदेही और संचार प्रदान किया जा सके। CSR परोपकार से व्यवसाय संचालन के एक रणनीतिक घटक के रूप में विकसित हुआ है, जो सामाजिक उत्तरदायित्व को सामाजिक कल्याण और दीर्घकालिक लाभप्रदता में योगदान देने के लिए मुख्य उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है।

ग . सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

इस युग में सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों से निपटने के लिए निगमों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोगी मॉडल का उदय हुआ। ये मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास पर केंद्रित थे, जिसमें स्कूल, डिजिटल साक्षरता पहल, छात्रवृत्ति, टीकाकरण अभियान और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे। इन साझेदारियों का लाभ यह था

कि उन्होंने विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रभाव को अधिकतम किया, जिससे व्यवसायों को सरकारी नीतियों और रूपरेखाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए स्थायी सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली।

घ . ब्रांड विभेदक के रूप में सीएसआर का उदय

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा और उपभोक्ता निष्ठा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। कंपनियाँ इस बात को मानती हैं कि सीएसआर पहल उनकी सार्वजनिक छवि पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे उपभोक्ताओं और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। जिम्मेदार व्यवसायों को अधिक नैतिक, विश्वसनीय और समुदाय-उन्मुख माना जाता है, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। व्यवसाय अब सीएसआर को ट्रिपल बॉटम लाइन ढांचे के साथ एकीकृत कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी गतिविधियाँ समाज को लाभान्वित करें, पर्यावरण की रक्षा करें और लाभप्रदता में वृद्धि करें। उदाहरणों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक कारणों का समर्थन करना, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण में निवेश करना और ब्रांड निष्ठा और बाजार विभेदीकरण के लिए सीएसआर का लाभ उठाना शामिल है।

अनिवार्य सीएसआर युग (2013-वर्तमान)

कंपनी अधिनियम, 2013 का अधिनियमन भारत की सीएसआर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे यह दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सामाजिक विकास में कॉर्पोरेट योगदान को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया। इस युग में संरचित विनियमन शुरू किए गए, जवाबदेही बढ़ाई गई और कॉर्पोरेट प्रयासों को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा गया।

ए. कंपनी अधिनियम, 2013

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत अनिवार्य सीएसआर एक आवश्यकता है, जिसके तहत पात्र कंपनियों को

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करना आवश्यक है। पात्रता मानदंडों में ₹500 करोड़ या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति, ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक का कारोबार और ₹5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ शामिल है। कानून सामाजिक और विकासात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विशिष्ट सीएसआर व्यय क्षेत्रों को परिभाषित करता है।

बी. अनिवार्य सीएसआर का प्रभाव

जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च का पुनर्गठन किया गया है। कंपनियों को अब अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर खर्च को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, और किसी भी अप्रयुक्त निधि को विशिष्ट निधियों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए या भविष्य के वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तदर्थ दान-आधारित गतिविधियों से सुनियोजित, मापनीय पहलों की ओर बदलाव ने सीएसआर प्रभावशीलता को बढ़ाया है। कंपनियाँ अब अपने व्यावसायिक मूल्यों और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित दीर्घकालिक प्रभाव वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सीएसआर व्यय मुख्य रूप से उच्च सामाजिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों जैसे ग्रामीण विकास, स्वच्छता और कौशल विकास और रोजगार सृजन पर केंद्रित रहा है।

सी. सीएसआर में प्रौद्योगिकी की भूमिका

डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसी नवीन सीएसआर पहलों को सक्षम करने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंपनियाँ वंचित समुदायों को ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कक्षाएँ प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन कार्यक्रमों को निधि देने और ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर रही हैं।

डी. अनिवार्य सीएसआर युग में प्रमुख चुनौतियाँ

सीएसआर निधियाँ अक्सर शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में सीमित संसाधन रह जाते हैं। सभी भौगोलिक क्षेत्रों में समान वितरण सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। सीएसआर कार्यक्रमों के सामाजिक प्रभाव का मापन जटिल है और इसके लिए मजबूत ढाँचों की आवश्यकता होती है। मानकीकृत मैट्रिक्स की कमी कार्यक्रम की सफलता के मूल्यांकन में बाधा डाल सकती है। कंपनियाँ अक्सर अपने सीएसआर लक्ष्यों के साथ संरेखित उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करती हैं, और धन का दुरुपयोग कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी मुद्दों को जन्म दे सकता है।

आधुनिक सीएसआर में रुझान

हाल के वर्षों में, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसायों और समाज दोनों के लिए मूल्य बनाते हुए उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित हुआ है। निम्नलिखित रुझान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सीएसआर आधुनिक परिदृश्य के साथ कैसे तालमेल बिठा रहा है और व्यापक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के साथ इसका बढ़ता संरेखण कैसे हो रहा है।

1. स्थिरता और ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन)

कंपनियाँ तेजी से हरित व्यावसायिक प्रथाओं को अपना रही हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना। सीएसआर के तहत सामाजिक जिम्मेदारी में निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करना, विविधता और समावेश को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों का समर्थन करना और हाशिए के समुदायों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार करना शामिल है। नैतिक शासन और पारदर्शिता पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसमें कंपनियाँ कॉर्पोरेट नैतिकता और नेतृत्व में विविधता के लिए मजबूत आंतरिक नीतियाँ स्थापित कर रही हैं। व्यवसाय अपने सीएसआर

प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते जैसे वैश्विक स्थिरता ढाँचों के साथ भी जोड़ रहे हैं। वे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और अपशिष्ट उत्पादन जैसे मानक मीट्रिक का उपयोग करके अपने पर्यावरणीय प्रभाव को मापते हैं।

2. कॉर्पोरेट-एनजीओ सहयोग

आधुनिक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) में अक्सर सामाजिक परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए निगमों और एनजीओ के बीच भागीदारी शामिल होती है। एनजीओ सीएसआर पहलों में स्थानीय ज्ञान, नेटवर्क और विश्वसनीयता लाते हैं, जिससे बेहतर परिणाम और स्थिरता सुनिश्चित होती है। उदाहरणों में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त उद्यम शामिल हैं। अधिक कंपनियाँ भी स्केलेबल परियोजनाओं का सह-निर्माण कर रही हैं, एनजीओ, सामुदायिक हितधारकों और सरकारी निकायों के साथ सहयोग में पहलों को डिजाइन कर रही हैं। यह प्रवृत्ति नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देती है, यह सुनिश्चित करती है कि सीएसआर प्रयास स्थायी प्रभाव पैदा करें और बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन में योगदान दें। उदाहरण के लिए, एक निगम एक एनजीओ के साथ वंचित बच्चों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम का सह-विकास कर सकता है, जिससे लंबे समय में इसकी मापनीयता, प्रासंगिकता और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

3. कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाएँ गति पकड़ रही हैं, विशेष रूप से युवा सशक्तिकरण के लिए, जिसमें निगम रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों को वित्तपोषित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता, डेटा विज्ञान और हरित प्रौद्योगिकी जैसे भविष्य के लिए तैयार कौशल

पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो युवाओं को तेजी से बदलते नौकरी बाजार के लिए तैयार करते हैं। कई सीएसआर कार्यक्रमों का उद्देश्य कौशल अंतर को कम करना और कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार करना है, खासकर ग्रामीण या वंचित क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त, सीएसआर उद्यमिता, वित्तीय समावेशन, नेतृत्व प्रशिक्षण, माइक्रोफाइनेंस पहल और लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव को कम करने के लिए जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये परियोजनाएँ एसडीजी 5 (लैंगिक समानता) के अनुरूप हैं।

4. स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर ध्यान दें

कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) परियोजनाएँ अस्थायी अस्पतालों, पीपीई और स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं सहित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे के विकास की ओर बढ़ गई हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को आसान बनाने के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएँ भी शुरू की गई हैं। दीर्घकालिक रणनीतियों में मातृ स्वास्थ्य, बाल देखभाल कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य सहायता शामिल हैं। शिक्षा में सीएसआर निवेश का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना, डिजिटल कक्षाएँ स्थापित करना और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति और संसाधन प्रदान करना है। कंपनियों ने अपने सीएसआर फोकस को डिजिटल शिक्षा तक बढ़ाया है, ग्रामीण छात्रों को इंटरनेट एक्सेस, डिवाइस और ऑनलाइन शिक्षण संसाधन प्रदान किए हैं। स्वच्छ विद्यालय अभियान जैसी पहल स्कूलों में भौतिक और शैक्षिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने वाली कंपनियों के उदाहरण हैं।

शोध निष्कर्ष

- भारत में प्राचीन और पूर्व-औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व धार्मिक, नैतिक और समुदाय-उन्मुख मूल्यों में गहराई से निहित था।

- राजाओं, व्यापारियों और संघों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचे और सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य किया।
- धार्मिक कर्तव्यों और आर्थिक गतिविधियों के साथ परोपकार के एकीकरण ने सामुदायिक विकास के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया, एक विरासत जो भारत में आधुनिक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को प्रेरित करती है।
- औपनिवेशिक काल ने भारत में सीएसआर की नींव रखी, जिसमें टाटा, बिड़ला और गोदरेज जैसे उद्योगपतियों ने सामाजिक कल्याण के साथ व्यावसायिक सफलता को जोड़ा।
- गांधी के ट्रस्टीशिप के दर्शन ने इस युग को गहराई से प्रभावित किया, जिसमें नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सामाजिक भलाई के लिए धन के पुनर्वितरण पर जोर दिया गया।
- इस समय के दौरान सीएसआर प्रयास स्वतंत्रता आंदोलन से निकटता से जुड़े थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय प्रगति पर केंद्रित थे।
- इन योगदानों ने सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं की विरासत बनाई जो भारत में आधुनिक सीएसआर पहलों को प्रेरित करती रही है।
- स्वतंत्रता के बाद की अवधि ने सीएसआर की दिशा में संरचित प्रयासों की शुरुआत की, जिसमें औद्योगिक और सामाजिक विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- उद्योगपतियों ने दोहरी भूमिका निभाई: आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाना और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण कल्याण जैसी प्रमुख सामाजिक पहलों को वित्तपोषित करना।

- सार्वजनिक उपक्रम सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरे, विशेष रूप से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में, उन्होंने अपने प्रयासों को सरकार की विकास योजनाओं के साथ जोड़ा।
- इस युग के दौरान सीएसआर गतिविधियाँ स्वैच्छिक थीं, नैतिक विचारों और सामाजिक भलाई के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित थीं, जिसने भविष्य के नियामक ढाँचों और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के लिए अधिक संरचित दृष्टिकोणों के लिए मंच तैयार किया।
- 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण ने सीएसआर में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जो वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की शुरुआत से प्रेरित था।
- सीएसआर परोपकार से एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में विकसित हुआ, जिसमें स्थिरता, नैतिक शासन और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने, व्यवसायों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक बन गई।
- कंपनियों ने अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सीएसआर का लाभ उठाना शुरू कर दिया, अपने प्रयासों को लोगों, ग्रह और लाभ की ट्रिपल बॉटम लाइन के साथ संरेखित किया, जिससे भारत में आधुनिक सीएसआर प्रथाओं के लिए मंच तैयार हुआ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 ने सीएसआर को संस्थागत बना दिया है, जिससे पात्र व्यवसायों को राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- सीएसआर एक रणनीतिक पहल में परिवर्तित हो गया है, जिसमें कंपनियाँ मापने योग्य प्रभावों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
- तकनीकी प्रगति ने सीएसआर के दायरे और पहुँच को बढ़ाया है, जिससे सामाजिक चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान संभव हो पाए हैं।
- महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, असमान निधि वितरण और प्रभाव माप जैसे मुद्दे बेहतर ढाँचे और सहयोग की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- वैश्विक मानकों के साथ संरेखण: आधुनिक सीएसआर स्थिरता और नैतिक शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) ढाँचों के साथ तेजी से संरेखित हो रहा है।
- कॉर्पोरेट-एनजीओ सहयोग: निगमों और एनजीओ के बीच रणनीतिक साझेदारी कुशल कार्यान्वयन और मापनीय प्रभाव सुनिश्चित करती है, जिसके परिणामस्वरूप स्केलेबल, टिकाऊ परियोजनाएँ बनती हैं।
- सशक्तिकरण पर ध्यान: युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास, लैंगिक असमानताओं को दूर करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है।
- स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा: स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सीएसआर के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने हुए हैं, कंपनियाँ बुनियादी ढाँचे के निर्माण और महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं, जैसे कि कोविड-19 संकट के दौरान।

उपसंहार

भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की प्रक्षेपवक्र रणनीतिक राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ जुड़े कॉर्पोरेट गतिविधियों के जानबूझकर एकीकरण के लिए धार्मिक रूप से प्रेरित परोपकारी से एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। इस विकास ने सीएसआर को एक अनिवार्य के रूप में तैनात किया है, जिसमें कंपनियां न केवल नैतिक जिम्मेदारी को गले लगाती हैं बल्कि इसे स्थायी विकास के लिए मौलिक उत्प्रेरक के रूप में भी पहचानती हैं, जो राष्ट्र के व्यापक सामाजिक-आर्थिक संदर्भ के अनुरूप हैं। अनिवार्य सीएसआर नियमों के कार्यान्वयन के बाद, निगम भारत में प्रगति के निर्णायक एजेंट के रूप में उभरे हैं, सक्रिय रूप से विभिन्न पहलों में भाग लेते हैं जो सामाजिक जरूरतों को संबोधित करते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। सीएसआर के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को नवाचार, सहयोगात्मक साझेदारी और स्थिरता के आकार का अनुमान लगाया जाता है, जो अधिक न्यायसंगत और स्थायी समाज के निर्माण में आवश्यक तत्वों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। अंततः, भारत में सीएसआर का भविष्य, अभिनव दृष्टिकोणों, सामूहिक कार्रवाई और पर्यावरणीय स्ट्रैटेजी के सहक्रियात्मक एकीकरण पर निर्भर करता है ताकि सार्वभौमिक समृद्धि, व्यापार विकास और सामुदायिक कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।

संदर्भ:

1. शर्मा, ई. के., एवं किरण, आर. (2012)। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व: प्रेरक कारक एवं चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 1(1), 28-37।
<https://doi.org/10.24102/ijbrd.v1i1.110>

2. मित्रा, एन. (2011)। भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का ऐतिहासिक परिदृश्य। इंडियन जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 4(1), 25-35।

<https://doi.org/10.1177/09746862110040010>

3. मिश्रा, एस., एवं सुअर, डी. (2010)। क्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व भारत में फर्म के प्रदर्शन को प्रभावित करता है? जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स, 95(4), 571-601।
<https://doi.org/10.1007/s10551-010-0441-1>

4. बालासुब्रमण्यम, एन. के., किम्बर, डी., एवं सीमेंस्मा, एफ. (2005)। उभरते अवसर या सुदृढ़ परंपराएँ? भारत में सीएसआर के प्रति दृष्टिकोण एवं सीएसआर के विषय में चिंतन के रुझानों का एक विश्लेषण। जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट सिटिजनशिप, 17, 79-92।

5. चहौद, टी., एमरलिंग, जे., कोल्ब, डी., कुबीना, आई., रेपिस्की, जी., एवं श्लेगर, सी. (2007)। भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्व - संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौते की भूमिका का आकलन। जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चर्चा पत्र, 8, 1-76।
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1496707>